उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-166/2017/2885/26-3-2017-3(3)/2016

लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2017

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-152/2017/2657/26-3-2017-3(3)/2016, दिनांक-28.09.2017, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01- 789-13- विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवरण एवं कम्प्यूटरीकरण के मानक मद-42- अन्य व्यय में अवशेष धनराशि रूपया-233.34 लाख (रूपये दो करोड़ तैतिस लाख चौतिस हजार मात्र) के सापेक्ष रूपया-206.75 लाख (रूपये दो करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(1) में, ''जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय'', के स्थान पर, ''जिसे एकमुश्त यू0पी0 डेस्को को दिये जाने वाले बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय''। शासनादेश संख्या-152/2017/2657/26-3-2017-3(3)/2016, दिनांक-28.09.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

कामता प्रसाद

उपसचिव

संख्या-166/2017/2885(1)/26-3-2017 तददिनांक-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in